

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-प्रथम, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के उपधारा-1के प्राविधानों के अन्तर्गत

16 बिन्दुओं की अद्यतन सूचना।

कंस.	बिन्दु	उत्तर																
1	अपने संगठन की विशिष्टियों, कृत्य और कर्तव्य	यह मण्डल मुख्य अभियन्ता(सज्जा) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नियंत्रण में है। इस संगठन में 3 यूनिट है जिनका नियंत्रण वेतन आहरण आदि जो कि वित्त से सम्बन्धित है इस संगठन के अधीक्षण अभियन्ता के अन्तर्गत है।																
2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य 1. अधीक्षण अभियन्ता 2. अनुसचिवीय अधिष्ठान 3. चतुर्थ श्रेणी	मण्डल एवं यूनिटों के कार्यों का नियंत्रण। समस्त राजकी सेवकों से सम्बन्धित अभिलेखों/पत्रावलियों का रख-रखाव। अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन																
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया से पालन की जाने वाली प्राक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	इस मण्डल के अन्तर्गत समस्त कार्यों का सम्पादन																
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।	-																
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	विभाग में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कर्मचारी आचरण सेवानियमावली लागू है। कार्यों के सम्पादन के लिए विभाग का मैनुअल है। वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधन एवं शासन व प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता(सज्जा) द्वारा जानरी शासनादेशों/आदेशों का पालन करने हेतु अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित कर सुनिश्चित करना। कार्यों का सम्पादन सिंचाई विभाग की विशिष्टियों एवं लागू निरर्णय नियमों के अनुरूप किया जाना एवं कार्यों के अभिलेखों का रख-रखाव नियमों के अनुसार किया जाना।																
6	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण।	-																
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियों जो उसकी नीति के सरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्ष लेने के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।	इस मण्डल में सीधे जनता से संबंधित कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाता है।																
8	ऐसे बोर्डों परिशदों समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति है, जिनका इसके भागरूप में या इस बार में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों परिशदों समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठको के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।	इस मण्डल में सीधे जनता से सम्बन्धित कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाता है।																
9	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका।	कार्यालय																
10	अपने प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक परिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।	<table border="1"> <thead> <tr> <th>पदनाम</th> <th>वेतनमान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. अधीक्षण अभियन्ता</td> <td>39100-67000</td> </tr> <tr> <td>2. आशुलिपिक ग्रेड-2</td> <td>5200-20200</td> </tr> <tr> <td>3. वरिष्ठ सहायक</td> <td>5200-20200</td> </tr> <tr> <td>4. कनिष्ठ सहायक</td> <td>5200-20200</td> </tr> <tr> <td>5. चालक</td> <td>5200-20200</td> </tr> <tr> <td>6. धावक</td> <td>5200-20200</td> </tr> <tr> <td>7. चपरासी</td> <td>5200-20200</td> </tr> </tbody> </table>	पदनाम	वेतनमान	1. अधीक्षण अभियन्ता	39100-67000	2. आशुलिपिक ग्रेड-2	5200-20200	3. वरिष्ठ सहायक	5200-20200	4. कनिष्ठ सहायक	5200-20200	5. चालक	5200-20200	6. धावक	5200-20200	7. चपरासी	5200-20200
पदनाम	वेतनमान																	
1. अधीक्षण अभियन्ता	39100-67000																	
2. आशुलिपिक ग्रेड-2	5200-20200																	
3. वरिष्ठ सहायक	5200-20200																	
4. कनिष्ठ सहायक	5200-20200																	
5. चालक	5200-20200																	
6. धावक	5200-20200																	
7. चपरासी	5200-20200																	
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविवरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आंवटित बजट।	इस मण्डल एवं यूनिटों के कार्यों हेतु बजट संबंधी समस्त कार्य आहरण वितरण अधिकारी, इन्चन्द्री कंट्रोल खण्ड, तेलीबाग, लखनऊ द्वारा किया जाता है।																

12	सहायिकी कार्यक्रमों निशपादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्रहणों के ब्यौरे सम्मिलित है।	कोई बजट इस मण्डल को आवंटित नहीं होता है और नहीं उसका उपयोग किया जाता है।						
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायती, अनुज्ञा-पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विषिष्टियां।	कोई बजट इस मंडल को आवंटित नहीं होता है और नहीं उसका उपयोग किया जाता है।						
14	किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के समबन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके धारित हो।	इस मण्डल में कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध है परन्तु इंटरनेट की सुविधा नहीं है।						
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विषिष्टियां जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचनकक्ष के यदि लोकउपयोग के अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घण्टे सम्मिलित है।	भारत का कोई भी नागरिक वांछित सूचना इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में नियमानुसार प्राप्त कर सकता है।						
16	लोकसूचना अधिकारियों के पदनाम और अन्य विषिष्टियां	<table border="1"> <tr> <td>1. श्री ए0के0गोयल</td> <td>अधीक्षण अभियन्ता, अपीलिय अधिकारी केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-1, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।</td> </tr> <tr> <td>2. श्री के0के0वर्मा</td> <td>अधिशाली अभियन्ता, जनसूचना अधिकारी, यूनिट-1, केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-1, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।</td> </tr> <tr> <td>3. श्री राकेश कुमार</td> <td>सहायक अभियन्ता, सहायक जनसूचना अधिकारी, यूनिट-1, केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-1, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।</td> </tr> </table>	1. श्री ए0के0गोयल	अधीक्षण अभियन्ता, अपीलिय अधिकारी केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-1, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	2. श्री के0के0वर्मा	अधिशाली अभियन्ता, जनसूचना अधिकारी, यूनिट-1, केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-1, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	3. श्री राकेश कुमार	सहायक अभियन्ता, सहायक जनसूचना अधिकारी, यूनिट-1, केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-1, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
1. श्री ए0के0गोयल	अधीक्षण अभियन्ता, अपीलिय अधिकारी केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-1, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।							
2. श्री के0के0वर्मा	अधिशाली अभियन्ता, जनसूचना अधिकारी, यूनिट-1, केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-1, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।							
3. श्री राकेश कुमार	सहायक अभियन्ता, सहायक जनसूचना अधिकारी, यूनिट-1, केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-1, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।							

(ए0के0गोयल)
अधीक्षण अभियन्ता

कार्यालय/संगठन/ अपील अधिकारियों, जनसूचना अधिकारियों, सहायक जनसूचना अधिकारियों, का विस्तृत विवरण

विभाग का नाम:- केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-1 सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

क्र० सं०	कार्यालय/ संगठन का नाम	1-अपील अधिकारियों के नाम 2-जनसूचना अधिकारियों के नाम 3-सहायक जन सूचना अधिकारियों के नाम	अपील अधिकारियों/ जन सूचना अधिकारियों/ सहायक जनसूचना अधिकारियों के पद नाम व कार्यालय के पते	अपील अधिकारियों/ जन सूचना अधिकारियों/ सहायक जनसूचना अधिकारियों के आवासीय पते	अपील अधिकारियों/ जन सूचना अधिकारियों/ सहायक जनसूचना अधिकारियों के कार्यालय के टेलीफोन नम्बर /मोबाइल नम्बर	अपील अधिकारियों/ जन सूचना अधिकारियों/ सहायक जनसूचना अधिकारियों के आवास के टेलीफोन नम्बर /मोबाइल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7
1	केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-1, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, गंगा सिंचाई भवन, तेलीबाग, लखनऊ।	1. श्री आदेश कुमार गोयल	अधीक्षण अभियन्ता, केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-प्रथम, सि०वि०, उ०प्र०, लखनऊ।	8/3 परिकल्प विहार कालोनी, तेलीबाग, लखनऊ।	05222441281	9454415010
		2. श्री के०के०वर्मा	अधिशारी अभियन्ता, यूनिट-1, केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-1, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, गंगा सिंचाई भवन, तेलीबाग, लखनऊ।	477, सेक्टर-एम, आशियाना एल०डी०ए० कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ।	9454415101	9454415101
		3. श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता, यूनिट-1, केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन-1, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, गंगा सिंचाई भवन, तेलीबाग, लखनऊ।	एल्डिको उद्यान प्रथम 656, सेक्टर-3, लखनऊ।	9454414700	9454414700

(ए०के०गोयल)

अधिशारी अभियन्ता